



सरकूलर नं0 अपमा/2018–2020/76

दिनांक : 18–7–2019

बुधवार दिनांक 17 जुलाई, 2019 को हिन्दुस्तान टाइम्स अखबार के पेज नं0 9 में Central Board of Indirect Taxes and Customs & Commercial Taxes Department of States/Union Territories) द्वारा प्रकाशित की गई सूचना आपकी जानकारी हेतु प्रकाशित की जा रही है – कृपया ध्यान दें : –

31st August, 2019 is Last Date to File Annual Returns for 2017-2018

What is FORM GSTR-9 annual return ?

FORM GSTR-9 is an Annual return to be filed once in a year by specified taxpayers under GST.

This return requires taxpayers to report summary of outward supplies, inward supplies, input tax credit availed, details of tax paid under different tax heads i.e. CGST, SGST and IGST, particulars of demands, refunds, etc.

It consolidates the information furnished by the taxpayers in their monthly/quarterly returns filed during the year.

Taxpayers registered under Composition Levy Scheme have to file a simple annual return in FORM GSTR-9A.

Who should file FORM GSTR-9/9A annual return ?

Filing of GSTR-9/9A Return is compulsory for every registered person, other than-

A Casual Taxable Person

An Input Service Distributor

A Non-resident Taxable Person

A Person paying tax under Section 51 (Tax deduction at source) or Section 52 (Collection of tax at source) of CGST Act, 2017; and

A person registered under rule 14 of the CGST Rules, 2017 supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a person in India, other than a registered person.

Contd.....P/2

What is FORM GSTR-9C annual return ?

FORM GSTR-9C is a Reconciliation Statement, which is to be filed by taxpayers whose aggregate turnover exceeded 2 Crore during July, 2017 to March, 2018. All such taxpayers are required to get their accounts audited and file a copy of audited annual accounts and a Reconciliation Statement in FORM GSTR-9C, reconciling the values declared in the Annual return with the audited annual financial statement.

Taxpayers may note that no revision of Annual return and reconciliation statement shall be allowed.

File the annual returns (GSTR-9, GSTR-9A & GSTR-9C) before the due date.

वर्ष 2017–2018 के वार्षिक रिटर्न को फाइल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2019 है।

वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर-9 क्या है ?

फॉर्म जीएसटीआर-9 एक वार्षिक रिटर्न है, जो कि जीएसटी के तहत निर्दिष्ट करदाता द्वारा वर्ष में एक बार फाइल किया जाता है।

इस रिटर्न में करदाता को आवक एवं जावक आपूर्ति लिया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट, विभिन्न कर मदों यथा सीजीएसटी, एसजीएसटी एवं आईजीएसटी के तहत चुकाये गये कर का विवरण, मांग का विवरण, रिफंड इत्यादि की सारांश रिपोर्ट फाइल करनी होती है।

इसमें वर्ष के दौरान फाइल किये गये मासिक/तिमाही रिटर्न में करदाताओं द्वारा दी गई सूचनाओं का समेकित विवरण होता है।

कम्पोजिशन स्कीम में पंजीकृत करदाताओं की सरल वार्षिक रिटर्न, फॉर्म जीएसटीआर-9ए में, फाइल करना होगा।

वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर-9/9ए किन्हें फाइल करना होगा ?

निम्नलिखित को छोड़कर प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति के लिए जीएसटीआर-9/9ए रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है –

आकस्मिक कराधेय व्यक्ति (A Casual Taxable Person)

इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (An Input Service Distributor)

अनिवासी कराधेय व्यक्ति (A Non-resident Taxable Person)

ऐसा व्यक्ति जो सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 51 (□□□□□ पर कर की कटौती) या धारा 52 (□□□□□ पर कर का संग्रहण) के अंतर्गत कर का भुगतान करता है।

सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 14 के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्ति, जो भारत के बाहर से ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस एक्सेस या निकालने की (रिट्रीवल) सेवाएं भारत में किसी अपंजीकृत व्यक्ति को दे रहा है।

वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर-9सी क्या है ?

फॉर्म जीएसटीआर-9सी रिटर्न समाधान विवरण(रेकन्सिलोएशन स्टेटमेंट) हैं, जिसे उन करदाताओं द्वारा फाइल किया जाना है, जिनका जुलाई 2017 से मार्च 2018 के दौरान सकल टर्नओवर ₹ 2 करोड़ से अधिक है। ऐसे सभी करदाताओं को अपने खातों का ऑडिट करवाना है और ऑडिट किये गये सालाना खातों की प्रति तथा फॉर्म जीएसटीआर-9सी में समाधान विवरण में घोषित मूल्यों का मिलान ऑडिट किये गये सालाना खातों से कर जमा करना है।

करदाता ध्यान दें की वार्षिक टर्नओवर और समाधान विवरण में किसी भी संशोधन की अनुमति नहीं दी जायेगी।

इसलिए आप सभी व्यापारी भाईयों से अनुरोध है कि वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9, जीएसटीआर-9ए एवं जीएसटीआर-9सी) नियत तारीख से पहले फाइल करें।

(विनय नारंग)
महासचिव